Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ट)

प्रेस नोट

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जयपुर में इंश्योरेन्स कम्पनी के दलाल को 30 हजार रूपये एवं पाली में लेखाकार को 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

जयपुर, 10 नवम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मंगलवार को दो अलग–अलग कार्यवाहियां करते हुये जयपुर में इन्श्योरेन्स कम्पनी के दलाल भगवान सहाय मीणा को 30 हजार रूपये एवं पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलिया कलां ब्लॉक रायपुर के लेखाकार प्रमोद कुमार को 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गयी कि उसकी माताजी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बीमा क्लेम की राशि दिलवाने हेतु भगवान सहाय मीना जो अपने आप को बीमा कम्पनी का हैड बताता है, बीमा की राशि दिलवाने हेतु हमारे से 2 लाख रूपये के बीमा का 20 प्रतिशत रिश्वत राशि 40,000/रूपये की मांग कर परेशान कर रहा है तथा 20 प्रतिशत रिश्वत राशि देने पर ही बीमा क्लेम की राशि खाते में आने की बात कह रहा है।

जिस पर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **इन्श्योरेन्स कम्पनी के दलाल भगवान सहाय मीणा** पुत्र श्री नवलराम मीणा, उम्र 36, निवासी म.नं. 44 बीजबड बालाजी के सामने, वार्ड नम्बर 18 टोडाभीम, तहसील व पुलिस थाना टोडाभीम, जिला करौली हाल पता क्वाटर नम्बर एफ–29 एम.एन.आई.टी., जयपुर पेशा निजी व्यवसाय **को 30 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

श्री सोनी ने बताया कि एक अन्य कार्यवाही में एसीबी पाली इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गयी कि कलेवा योजना के तहत प्रसुताओं को दिये जाने वाले भोजन के बिल पास कराने की एवज में लेखाकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलिया कलां ब्लॉक रायपुर जिला पाली प्रमोद कुमार बिल की आधी राशि रिश्वत के रूप में मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाशदान जुगतावत के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **प्रमोद कुमार** पुत्र श्री रामप्रताप उम्र 45, निवासी ग्राम चिचडोली, पुलिस थाना बगड, जिला झुंझनू हाल **लेखाकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलिया कलां ब्लॉक रायपुर जिला पाली को 8 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।